



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक- 21 जुलाई, 2024

थाना डिबाई

लूट की घटना कारित करने वाले 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 72000/- हजार रुपये नकद, 02 मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पासबुक, जनसेवा केन्द्र की मोहर, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व एक चाकू आदि बरामदा

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 21-07-2024 को थाना डिबाई पुलिस द्वारा एक अभिसूचना पर अलीगढ़ मार्ग से लूट की घटना कारित करने वाले 03 शातिर अभियुक्तों 72000/- हजार रुपये नकद, 02 मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पासबुक, जनसेवा केन्द्र की मोहर, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व एक चाकू आदि सहित गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना डिबाई पर मुअसं-379/24 धारा 317(5),317(2) बीएनएस पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

- 1- जोशी कुमार पुत्र दलवीर निवासी ग्राम उमरारा थाना डिबाई बुलन्दशर।
- 2- योगेश उर्फ योगेन्द्र पुत्र वीर बहादुर निवासी ग्राम बांधोर थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
- 3- पोला उर्फ घनशमाम उर्फ घमंडी पुत्र कान्ती प्रसाद निवासी उपरोक्त।

बरामदगी का विवरण-

- 1- 72000/- नकद (लूटे गये)
- 2- 01 मोबाइल फोन वन प्लस (लुटा गया)
- 3- 01 मोबाइल फोन वन प्लस (लूटे गये रुपयों से खरीदा गया)
- 4- 01 मोटरसाइकिल (घटना में प्रयुक्त/चोरी की)
- 5- 01 आधार कार्ड, 01 पासबुक, जनसेवा केन्द्र की मोहर,
- 6- 01 चाकू

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा दिनांक 09-07-2024 को थाना डिबाई क्षेत्रान्तर्गत नायरा पेट्रोल पम्प के आगे आलू फार्म के पास से एक बाइक सवार जनसेवा केन्द्र वाले की आखों में मिर्च डालकर उसका बैग लूटने की घटना कारित की गयी थी। बैग में कुछ रुपये, आधार कार्ड, पासबुक आदि सामान था। रुपयों को अभियुक्तों द्वारा आपास में बाट लिया गया था तथा कुछ रुपयों से 01 वन प्लस का मोबाइल फोन खरीदा गया था। इस सम्बन्ध में थाना डिबाई पर मुअसं- 354/24 धारा 317(5),317(2) बीएनएस व 4/24 आर्म्स एक्ट पंजीकृत है।

अभियुक्तों द्वारा बरामद मोटरसाइकिल को करीब 02 वर्ष पूर्व जनपद मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी क्षेत्र से चोरी किया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना नई मंडी जनपद मुजफ्फरनगर में मुअसं-91/22 धारा 379 भादवि पंजीकृत है। अभियुक्तगण शातिर किस्म के चोर/लुटेरे हैं जिनके द्वारा अपना खर्चा चलाने के लिए लूट की घटनाएं कारित की जाती हैं।

अभियुक्त जोशी का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 354/2024 धारा 317(5)/317(2) बी0एन0एस थाना डिबाई बुलन्दशहर ।
2. मु0अ0स0 379/2024 धारा 317(5)/317(2) बी0एन0एस थाना डिबाई बुलन्दशहर ।
3. मु0अ0स0 426/2023 धारा 323/324452/506 भादवि थाना डिबाई बुलन्दशहर ।
4. मुअसं-91/22 धारा 379 भादवि थाना नई मंडी जनपद मुजफ्फरनगर ।

अभियुक्त योगेश उर्फ योगेन्द्र का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 354/2024 धारा 317(5)/317(2) बी0एन0एस थाना डिबाई बुलन्दशहर ।
2. मु0अ0स0 379/2024 धारा 317(5)/317(2) बी0एन0एस थाना डिबाई बुलन्दशहर ।
3. मुअसं-91/22 धारा 379 भादवि थाना नई मंडी जनपद मुजफ्फरनगर ।

अभियुक्त पोला उर्फ घनशमाम उर्फ घमंडी का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 354/2024 धारा 317(5)/317(2) बी0एन0एस व धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना डिबाई बुलन्दशहर ।
2. मु0अ0स0 379/2024 धारा 317(5)/317(2) बी0एन0एस थाना डिबाई बुलन्दशहर ।
3. मु0अ0स0 428/2020 धारा 380/411 भादवि थाना पहासू बुलन्दशहर ।
4. मु0अ0स0 346/2020 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना पहासू बुलन्दशहर ।
5. मु0अ0स0 338/2020 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना पहासू बुलन्दशहर ।
6. मुअसं-91/22 धारा 379 भादवि थाना नई मंडी जनपद मुजफ्फरनगर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री रण सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना डिबाई
2. उ0नि0 देवेन्द्र कुमार, उ0नि0यू0टी0 हरेन्द्र
3. का0 लाखन सिंह, का0 जितेन्द्र कुमार, का0 धर्मेन्द्र सिंह

